राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	2287/2022 सुरेश कुमार रावल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, बारां (राज.)।	20.07.2022	श्री सुनील कुमार सैनी, अभिभाषक
2.	2288/2022 मोतीलाल			
3.	2291/2022 रमेश चन्द			

आदेश की दिनांक : 10.08.2022

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाईन, बारां में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 02.03.1995 को हुई थी और उसे रिजर्व पुलिस लाईन, बारां में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर उसे प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.03.1995 से गणना करते हुए दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनर्निधारण वेतनमान 2008 के लिए कार्मिकों से विकल्प दिनांक 01.09.2006 से भरवाए गए। अपीलार्थी से भी विकल्प मांगा गया। अपीलार्थी दिनांक 05.03.2013 को अपनी 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुका है। उनका कथन है कि वह पुनर्निधारण वेतनमान से संतुष्ट नहीं है और उसे 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर भी द्वितीय चयनित वेतनमान देने से रोका गया है। परिपत्र दिनांक 11.01.1999 के अनुसार जो कार्मिक एम.टी. की सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें हैड कांस्टेबल के समकक्ष पदोन्नति पद के वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा। अपीलार्थी पुलिस वाहन चालक है और उसे विकल्प पत्र भरने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके अनुसार उसने कार्यालय में विकल्प पत्र भरकर दिया जबकि अपीलार्थी को इसके बारे में कोई

जानकारी नहीं थी। जो कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ हैं, वह अपीलार्थी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। दिनांक 29.12.2008 के बाद प्रत्यर्थी विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.02.2009 में राजस्थान सिविल सेवा (वेतन निर्धारण) नियम, 2008 के द्वारा संशोधन किया गया, जिसके बारे में अपीलार्थी को सूचित किया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसमें उसे 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर नियम, 2008 के अन्तर्गत पुनः विकल्प भरने की अनुमति दी गई। उपरोक्त नियम के आधार पर अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि इसी प्रकार का समान प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3926/2013 कुलदीप सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 26.04.2013 को आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का मामला भी इसी के समान तथ्यों पर आधारित है। अधिकरण ने भी उक्त आदेश के आधार पर कई आदेश पारित किए, जो अपील संख्या 2673/2021 में दिनांक 12.08.2021 को आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी के विकल्प पर पुनः विचार करते हुए पुनर्निधारण वेतनमान नियम, 2008 के द्वारा 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं सभी पारिणामिक लाभ देने पर विचार किया जाए।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त समस्त अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

ewy vkns'k vihy la[;k 2287/2022 सुरेश कुमार रावल बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य dh i=koyh esa j[kk tkos ,oa bl vkns'k ds 'kh"kZd dh rkfydk esa of.kZr vU; leLr vihyksa esa bl vkns'k dh izfr layXu dh tkosA

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)